

जिलाधिकारी द्वारा जारी किये जा

गर्भग्रहण के आदेश का मानक आकार -पत्र  
आकार-पत्र-1

आदेश

शासनादेश. सं0-258, रा-16(1)/73 दिनांक 05.03.1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0जमीं0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उ0प्र0अधिनियम सं0-1, 1951) की धारा 117 की उपधारा-6 के द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-258/रा-1-16(1)/73 दिनांक 07 मई 1981 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं मधुकर द्विवेदी, जिलाधिकारी गोण्डा, सलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के सतम्भ-6 में उल्लिखित गांव क्षमाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गावसभा स्थानीय प्राधिकारी	गाटा नं0	क्षे0	प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहण की जा रही है।
1	गोण्डा	सुबगंज	4	आदमपुर	आदमपुर	12।वि0	3.000 हे.	राजकीय पत्नीटेकनिक गोण्डा के स्थापना हेतु

(मधुकर द्विवेदी)  
जिलाधिकारी  
गोण्डा।

कार्यालय जिलाधिकारी, गोण्डा

दिनांक: 26 जनवरी, 2010

संख्या: 1303/भूमि व्यवस्था/पुर्नग्रहण(रा0गा0)/2010

प्रतिनिधि

सन्निध उ0 प्र0 शासन, राजस्थान अनुभाग-1 लखनऊ की सेवा में सूचनाार्थ प्रेषित।।

- 1- सयुक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा (महाशेत्र) लखनऊ।
- 2- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशवाग लखनऊ उ0 प्र0 को शासकीय माल में प्रकाशन हेतु।
- 3- आयुक्त, देवीपाटन मण्डल गोण्डा को सूचनाार्थ।
- 4- आयुक्त एवं सहाय राजारत पार्षद अनुभाग-5 उ0 प्र0 लखनऊ को सूचनाार्थ।
- 5- उपजिलाधिकारी तरबगंज/तहसीलदार तरबगंज को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यावही हेतु।
- 6- प्रधानाचार्य राजकीय पत्नीटेकनिक गोण्डा।

जिलाधिकारी  
गोण्डा।

MRD  
प्रधानाचार्य  
राजकीय पत्नीटेकनिक  
गोण्डा-271001